

INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY KANPUR

ESTATE OFFICE (Phone: (0512) 259-7327)

ROOM NO. 101-D (FACULTY BUILDING)

NOTICE NO.07/2018-19

TENDER DOCUMENT

FOR

RUNNING A SOUTH INDIAN

CUISINE OUTLET

AT

SHOP NO. 5,

CHOWPATI AREA, IIT KANPUR

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर

संपदा कार्यालय (दूरभाष: 0512)259-7327

कक्ष संख्या 101 डी (फैकल्टी बिल्डिंग)

निविदा सं.07/2018-19

भा.प्रौ.सं.कानपुर स्थित

चौपाटी क्षेत्र की दुकान संख्या 5

में साउथ इंडियन व्यंजन की दुकान

के संचालन हेतु निविदा प्रपत्र

INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY KANPUR
ESTATE E (Phone: 2597166)
ROOM NO. 101-D (FACULTY BUILDING)

Name of Work / Service	TO RUN SOUTH INDIAN OUTLET
Location	CHOWPATI AREA SHOP NO.5, BEHIND HALL OF RESIDENCE VIII
Area	09.00 sq.mt
Monthly License fee	Rs.1782/-
EMD Amount	Rs.10,000/-
Secuirty deposit	50,000/-
Last date & time of receipt of tender	11 February 2019 at 1500 hours
Place of submission of Tender	Estate Office Room No. 101-D, IIT Kanpur
Place of opening of tenders	Estate Office, Room No. 101 B, Faculty Building, IIT Kanpur
Date & time of opening of technical bids	11 February 2019 at 1530 hours
Date & time of opening of financial bids	11 Februrary 2019 at 1630 hours
Link to download the tender document	http://www.iitk.ac.in/estateoffice/Tender.htm

कार्य / सेवा का नाम	साउथ इंडियन भोजन की दुकान चलाने हेतु
कार्यस्थल	छात्रावास 8 की पीछे स्थित चौपाटी क्षेत्र की दुकान सं 5
क्षेत्रफल	09.00 वर्ग मीटर
मासिक लाइसेन्स शुल्क	Rs.1782/-
बयाना राशि (ईएमडी)	Rs.10,000/-
सुरक्षा राशि	Rs.50,000/-
निविदा प्राप्त होने की अंतिम तिथि और समय	11 फरवरी 2019, अपराह्न 3 बजे तक
निविदा जमा करने का स्थान	सम्पदा कार्यालय, भा. प्रौ.सं. कानपुर
निविदा खोलने का स्थान	सम्पदा कार्यालय, कमरा सं 101-बी, फ़ैकल्टि बिल्डिंग, भा. प्रौ.सं. कानपुर
तकनीकी बोलियाँ खोलने की तिथि और समय	11 फरवरी 2019 अपराह्न 3:30 बजे
वित्तीय बोलियाँ खोलने की तिथि और समय	11 फरवरी 2019 अपराह्न 4:30 बजे
निविदा डाउनलोड करने का लिंक	http://www.iitk.ac.in/estateoffice/Tender.htm

Tender Notice No.07/2018-19

SUB: TENDER TO RUN SOUTH INDIAN OUTLET AT SHOP NO. 5 OF CHOWPATI AREA, IIT KANPUR

Indian Institute of Technology Kanpur (hereinafter referred to as the Institute) established by the Parliament and incorporated as a body corporate, is an Institute of National Importance declared as such under the Institutes of Technology Act, 1961. The Institute is engaged in imparting education and research of highest standards in the area of Technology and Science.

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर (आगे संस्थान के रूप में उल्लेख किया गया है)की स्थापना संसद द्वारा की गई जिसे निगमित निकाय के रूप में सम्मिलित किया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 1961 के तहत संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान घोषित किया गया है। संस्थान प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान के क्षेत्र में उच्चतम स्तर की शिक्षा प्रदान करने का कार्य कर रहा है।

The Institute has shop premises at the aforesaid location and intends to give it on license, to the willing party having experience of minimum three years of operating such outlet(s) under its ownership/proprietorship, to cater to the campus community.

संस्थान में दुकान परिसर उपलब्ध है जिसको संस्थान ऐसे इच्छुक व्यक्ति को लाइसेंस पर देना चाहता है जिनके पास साउथ इंडियन व्यंजन की दुकान संचालित करने का न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव हो और संस्थान समुदाय की इस तरह के खान-पान संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अपने स्वामित्व/प्रभुत्व के तहत इस प्रकार की दुकान(नों) को संचालित कर रहा हो।

Sealed bids are accordingly, invited on behalf of Indian institute of Technology Kanpur from the interested parties for running such an outlet at the aforementioned location on campus.

तदनुसार, सीलबंद बोली, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की ओर से इच्छुक पार्टियों से परिसर में उपरोक्त स्थान पर इस तरह की दुकान चलाने के लिए आमंत्रित किए गए हैं।

The Tender document can be downloaded from Estate office website mentioned on page 3 of this document.

निविदा दस्तावेज को प्रष्ठ सं 3 में दी गयी वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

The prescribed bid form duly filled by the applicant in all respects should be dropped in the tender box kept in the Estate Office on the date and time as mentioned on page 3 of this document.

आवेदक, सभी मामलों में विधिवत भरे गए निर्धारित प्रपत्र को सम्पदा कार्यालय में इस दस्तावेज के प्रष्ठ सं 3 में निर्धारित किए गए दिन एवं समय के अनुसार रखे गए निविदा बॉक्स में डाल दें।

1) The tenders will be opened on the date, time and venue as mentioned on page 3 of this document in Room No. 101-B, Faculty Building, IIT Kanpur in the presence of the Members of Tender Committee of the Institute and authorized representative(s) of the bidding parties. The parties will be required to meet the Committee for presentation (to satisfy all material questions pertaining to their company/ firm and their modus-operandi etc.), interview and finalization of the offer.

निविदाएं प्रष्ठ संख्या 3 में दिये गए दिन, समय एवं जगह के अनुसार संस्थान की निविदा समिति के सदस्य और बोली के अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोली जाएगी। दलों को प्रस्तुति के लिए समिति से एक एक करके साक्षात्कार देना होगा (उनकी कंपनी / फर्म और उनकी कार्यप्रणाली से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने हेतु)

The Financial bids of only the technically qualified bidders shall be opened on the date, time and venue mentioned on page 3 of this document.

केवल तकनीकी योग्य बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां प्रष्ठ सं 3 में दिये गए दिन, समय एवं जगह पर खोली जाएंगी।

2) The Institute reserves the right to accept / reject any tender without assigning any reasons.

संस्थान किसी भी कारण बिना किसी भी निविदा को स्वीकार / अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।

-----sd-----
Assistant Registrar/
Officer In-charge, Estate

Copy to:

1. Director
2. Deputy Director
3. Chairman- CEMMC
4. Registrar
5. All Notice Boards
6. Institute website.

Signature of the bidder

**GUIDELINES FOR TENDER TO RUN SOUTH INDIAN OUTLET AT SHOP NO. 5 OF CHOWPATI AREA,
IIT KANPUR**

चौपाटी क्षेत्र की दुकान संख्या 5 में साउथ इंडियन व्यंजन की दुकान
के संचालन हेतु निविदा के लिए दिशानिर्देश

General:

सामान्य:

1. The contract is for running a south indian outlet at shop no. 5 of Chowpati area, IIT Kanpur for which premises to the successful bidder shall be given on license. However, the shop shall be run under certain conditions which are stipulated hereinafter and in the terms and conditions of contract, i.e., Appendix-B.

यह अनुबंध चौपाटी क्षेत्र की दुकान संख्या 5 में साउथ इंडियन व्यंजन की दुकान चलाने के लिए है, जिसके लिए परिसर सफल बोलीदाता को लाइसेंस पर दिया जाएगा, हालांकि, दुकान को कुछ निश्चित शर्तों के तहत चलाया जाएगा जो कि इसके बाद निर्धारित है और अनुबंध की शर्तों अर्थात् परिशिष्ट-बी में समाहित हैं।

2. Each and every page of the bid must be signed by the bidder himself, if the bidder is a proprietorship firm and in case of a partnership firm, by a partner. However, in such case, there must be an authorization from all the partners to the effect that the person signing the bid as a partner has been authorized to sign the bid document on behalf of all partners.

बोलीदाता के हर पृष्ठ पर हस्ताक्षर होने चाहिए यदि बोलीदाता एक स्वामित्व फर्म है। और यदि बोलीदाता एक साझेदार फर्म है, एक पार्टनर द्वारा हर पृष्ठ पर हस्ताक्षर होने चाहिए। हालांकि, ऐसे मामले में, सभी सहयोगियों से इस संबंध में एक प्राधिकरण होना चाहिए कि भागीदार के रूप में बोली पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को सभी भागीदारों की तरफ से बोली दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया है।

3. If the bidder is a Company, there must be a valid authorization from the competent authority/ Board resolution, authorizing the person to sign and file the bid on behalf of the Company.

यदि बोलीदाता एक कंपनी है, तो सक्षम प्राधिकारी / बोर्ड के समाधान से वैध प्राधिकरण होना चाहिए, व्यक्ति को कंपनी की ओर से बोली लगाने और फाइल करने के लिए प्राधिकृत करना होगा।

4. Any bid not signed on each page and without authorization may be rejected.

यदि कोई बोली प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर नहीं की गई है और प्राधिकरण के बिना है, तो अस्वीकार कर दिया जा सकता है।

5. Any overwriting or cutting in the bid document must be avoided. However, if any over writing or cutting is caused due to some unavoidable reason, the same must be duly attested by the person signing the bid document.

बोली दस्तावेज में कोई भी अधिलेखन या कटौती नहीं की जानी चाहिए। यदि कुछ अपरिहार्य कारणों से अधिलेखन या काटना पड़ता है, तो उस व्यक्ति को बोली दस्तावेज पर विधिवत रूप से हस्ताक्षर कर के प्रमाणित करना चाहिए

6. The tenderer is not allowed to make additions/alterations in the tender paper. Such additions and alterations shall be at the tenderers own risk and shall render the tender to be summarily rejected. Conditional tenders shall not be accepted.

निविदाकर्ता को निविदा पत्र में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं है। इस तरह के परिवर्धन और परिवर्तन निविदाकारों के अपने जोखिम पर होंगे और निविदा को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा। सशर्त निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी

7. The tenderer shall give his/her full permanent as well as temporary address in Annexure 1 and shall also furnish/attached proof thereof.

निविदाकर्ता अनुबंध 1 में अपने पूर्ण स्थायी और अस्थायी पते देगा और इसके बारे में / उसके संबंधित प्रमाण भी प्रस्तुत करेगा।

8. The bidder whose bid is accepted, shall submit a Rs.100/- non- judicial stamp paper at its own cost to the Estate Office for preparing the contract agreement to be signed by the both the parties.

Signature of the bidder

जिस बोलीदाता की बोली को स्वीकार किया जायेगा, उसे दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध करार तैयार करने के लिए एस्टेट कार्यालय को अपनी लागत पर 100 रुपये का गैर-न्यायिक स्टॉप पेपर प्रस्तुत करना होगा।

9. Prices of all items in Annexure-2 must be quoted in Indian rupees and must be inclusive of GST.
अनुलग्नक- 2 में सभी वस्तुओं की कीमत भारतीय रुपए में उद्धृत की जानी चाहिए और जीएसटी सहित होनी चाहिए।

Eligibility Criteria/ पात्रता मापदंड:

10 Good Financial health of an individual/ firm in terms of working capital, to run a shop smoothly. Preferences will be given to individual/firm with better financial position/state.

दुकान को सुचारू रूप से चलाने के लिए बोली लगाने वाले के पास कार्यशील पूंजी के मामले में बेहतर वित्तीय स्थिति होनी चाहिए। बेहतर वित्तीय स्थिति वाले व्यक्ति / फर्म को प्राथमिकता दी जाएगी।

11 Must have experience of running similar outlet for not less than three years in a Government/semi-government/autonomous body and reputed Institute. Interested bidder may apply along-with sufficient proof of its experience/ability of running such outlets.

बोली लगाने वाले को सरकारी / अर्ध-सरकारी / स्वायत्त निकाय और प्रतिष्ठित संस्थान में समान दुकान चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इच्छुक बोलीदाता इस तरह के दुकान/ मेस चलाने के अपने अनुभव/ क्षमता के पर्याप्त प्रमाण के साथ आवेदन कर सकते हैं।

12. The bidder must have PAN Number and GST/GSTN number. The bidder whom the contract is finally awarded shall have a GST number for the shop in question as well, if the related law so requires.

बोलीदाता के पास पैन नंबर और जीएसटी / जीएसटीएन नंबर का पंजीकरण होना आवश्यक है। जिस बोलीदाता को अंतिम रूप से सफल घोषित किया जायेगा, उसे ड्राई क्लीनिंग की दुकान के लिए, यदि संबंधित कानून लागू है, एक जीएसटी नंबर रजिस्टर कराना होगा।

13. The bidder must have its code numbers under the Employees State Insurance Act & Employees Provident Fund Act from the Kanpur offices of the concerned departments.

बोलीदाता के पास कर्मचारी संख्या राज्य बीमा अधिनियम के तहत अपना कोड नंबर होना चाहिए।

14. Firms already having another establishment/shop etc. within the Institute premises will be considered based upon good performance. Bidder having two or more establishment/shop etc. within the Institute premises will not be considered for this bid. Further, any bidder who is already into any kind of litigation with the Institute shall be barred from participating in this tender process. Employee and students' relatives are barred from submitting the bids

यदि संस्थान परिसर में पहले से ही अन्य प्रतिष्ठान / दुकान आदि है तो इस प्रतिष्ठान/ दुकान के अच्छे प्रदर्शन के आधार पर विचार किया जायेगा संस्थान परिसर में दो या अधिक प्रतिष्ठान / दुकान / दुकान आदि वाले बोलीदाता को इस बोली के लिए विचार नहीं किया जाएगा। संस्थान के साथ किसी भी प्रकार की मुकदमेबाजी में पहले से ही कोई बोलीदाता को इस निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से रोक दिया जाएगा। कर्मचारी और छात्रों के रिश्तेदारों को बोली प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है

Earnest Money Deposit (EMD)/ बयाना जमा (ईएमडी)

15. Every bid must be attached with an Earnest Money Deposit of **Rs. 10,000/-** in the form of FDR or TDR of any scheduled bank, in favor of the **"The Registrar, IIT, Kanpur"**. Any bid which is not accompanied by the earnest money deposit, shall be summarily rejected. Any bid accompanied by the cheque/DD in lieu of earnest money shall also be rejected.

हर बोली को निविदा बयाना जमा राशि के साथ जमा करना होगा। ईएमडी 10,000/- की एफडीआर/डी डी या किसी अनुसूचित बैंक के टीडीआर के रूप में होना चाहिए। ईएमडी "रजिस्ट्रार, आईआईटी, कानपुर" के पक्ष में होना चाहिए। किसी भी बोली को जो ईएमडी के साथ नहीं है, संक्षिप्त रूप से अस्वीकार कर दिया जाएगा।

Signature of the bidder

16. The earnest money of the successful tenderer will be liable to be forfeited as liquidated damages in the event of any evasion, refusal or delay on his part in signing the agreement.

The earnest money of the tenderer who withdraws its tender in breach of conditions of contract and who evades or refuses to sign the contract bond after acceptance of its tender within the period of its validity, will also be liable to forfeiture.

सफल निविदाकर्ता के बयाना धन समझौते पर हस्ताक्षर करने में उनके भाग में किसी भी चोरी, इनकार या देरी की स्थिति में क्षतिग्रस्त क्षति के रूप में जब्त किए जाने के लिए उत्तरदायी होगा।

निविदाकर्ता का बयाना धन जो अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन में अपना निविदा वापस ले लेता है और जो अपनी वैधता की अवधि के भीतर अपनी निविदा स्वीकार करने के बाद अनुबंध बांड पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया या मना कर दिया, वह भी जब्त करने के लिए ज़िम्मेदार होगा

17. a. The EMD of unsuccessful bidders shall be refundable to them after completion of the bidding process. However, the same shall be refunded within 30 days after the receipt of written request from the bidder concerned in this behalf.

बोली लगाने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद असफल बोली लगाने वालों की ईएमडी वापसी योग्य होगी। हालांकि, इस संबंध में संबंधित बोलीदाता से लिखित अनुरोध की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर ही लौटा दिया जाएगा।

b. The EMD should be valid for a period of minimum three months.

ईएमडी न्यूनतम तीन महीनों की अवधि के लिए मान्य होना चाहिए।

c. The EMD of the bidder whose bid is finally accepted, shall be returned on deposit of the due security deposit as stipulated in the Terms & Conditions in Appendix B.

बोलीदाता का ईएमडी जिसका बोली अंत में स्वीकार कर लिया जाएगा, शर्तों में निर्धारित सुरक्षा राशि जमा करने पर वापस किया जाएगा

Documents to be attached with the bid:

बोली के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज़:

18. The bidder must attach the Bank Draft and self-attested copies of the following documents along with the bid. Any bid not accompanied by any of such documents would be liable for rejection:

- a. Income Tax Registration Certificate/PAN No.
- b. Firm/Company Registration Certificate.
- c. GST Registration Certificate/No.
- d. EPF Registration Certificate/Code No.
- e. ESI Registration Certificate/Code No.
- f. Other Statutory Registrations/Licenses, if any.
- g. Bank Solvency Certificate.
- h. Details/particulars of the firm submitting the bid in Annexure-1.
- i. Total number of outlets and details of outlets not exceeding five presently being run by the bidder.
- j. Audited balance sheet and profit and loss accounts along with gross turnover and profit for the last three financial years.
- k. Authority/Resolution in favor of the person signing the bid on behalf of the firm submitting the tender.
- l. Bank Draft of Rs.10,000/- (TenThousand Only) towards EMD.
- m. Address proof.
- n. Aadhar Card of individual applicant/person signing the bid.
- o. Application/declaration in Annexure-2.
- p. Other documents as may be deemed necessary and as is required under any other provision of the bid document and not mentioned herein above.

बोली लगाने वाले व्यक्ति को तकनीकी बोली (Technical bid) के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की छायाप्रति के साथ-साथ एफडीआर/टीडीआर संलग्न करना होगा। उल्लिखित दस्तावेजों के बिना यदि कोई तकनीकी बोली (Technical bid) जमा की जाती है तो उसे सीधे तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।

Signature of the bidder

- a) आयकर प्रमाण पत्र/ पैन नम्बर
- b) पिछले एक साल के बैंक स्टेटमेंट
- c) फर्म कंपनी पंजीकरण प्रमाण पत्र
- d) जी एस टी पंजीकरण प्रमाण पत्र नम्बर
- e) ईपीएफ पंजीकरण प्रमाण पत्र कोड नम्बर/ ईएसआई पंजीकरण प्रमाण पत्र कोड नम्बर
- f) अन्य वैधानिक पंजीकरण लाइसेंस (यदि कोई है)
- g) FSSAI प्रमाण पत्र (यदि है). यदि टेंडर से सम्मानित किया जाएगा, तो निविदा प्रदान करने की तारीख से एक महीने के भीतर अनिवार्य रूप से एक नया एफएसएसएआई प्रमाण पत्र दायर किया जाना चाहिए।
- h) अनुलग्नक -1 में बोली जमा करने वाली फर्म का विवरण (पार्ट 1 & पार्ट -2)
- i) दुकानों की संख्या एवं दुकानों का विवरण (वर्तमान समय में पाँच से अधिक दुकानों का संचालन न कर रहा हो)
- j) अंकेक्षित तुलन पत्र के साथ-साथ पिछले तीन वर्षों के कुल कारोबार एवं लाभ सहित लाभ एवं हानि खाता का प्रमाण पत्र
- k) फर्म / व्यक्ति के साथ काम करने वाले कर्मचारियों की विवरण / सूची
- l) निविदा जमा करने वाली फर्म की ओर से निविदा पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के पक्ष में अधिकार पत्र/संकल्प पत्र
- m) अग्रिम जमा राशि के रूप में 10,000 (दस हजार रुपये) की एफडीआर/टीडीआर ।
- n) व्यक्तिगत आवेदक का पते का सबूत/आधार कार्ड
- o) निविदा पर हस्ताक्षर करने वाले प्रत्येक आवेदक/व्यक्ति के 'आधार' की छायाप्रति
- p) आवश्यक समझे जाने वाले अन्य दस्तावेज जो निविदा दस्तावेज प्रावधानों के तहत अनिवार्य हों तथा जिनका उल्लेख उपर न किया गया हो।

Submission of Bid:

बोली प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

19. The bid shall be submitted in two parts i.e. Technical Bid and the Financial Bid in the following manner:

a. Technical Bid: The Technical bid shall consist of entire Tender document i.e. Appendix-A, Appendix-B and Annexure-1. Along-with it, all the documents as detailed in point 18 above ('a' to 'p') should also be attached. The Technical bid shall be submitted in a sealed envelope, superscripted, "TECHNICAL BID FOR RUNNING SOUTH INDIAN OUTLET AT SHOP NO. 5 OF CHOWPATI AREA, IIT KANPUR"

बोली निम्नलिखित तरीके से दो भागों में प्रस्तुत की जाएगी : तकनीकी बोली और वित्तीय बोली

तकनीकी बोली: तकनीकी बोली में संपूर्ण निविदा दस्तावेज शामिल होंगे जिसमें परिशिष्ट-ए, परिशिष्ट-बी और अनुबंध-1 शामिल है। इसके साथ-साथ, ऊपर दिए गए बिंदु 18 ('ए' से 'पी') में बताए गए सभी दस्तावेजों को भी संलग्न किया जाना चाहिए। तकनीकी बोली को एक सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिस पर लिखा हो "आईआईटी कैम्पस के चौपाटी क्षेत्र की दुकान संख्या 5 में साउथ इंडियन व्यंजन की दुकान चलाने हेतु तकनीकी बोली"

b. Financial Bid: The Financial bid shall contain only the prices of items in Annexure-2 and nothing else. The Financial bid should be put in a separate sealed envelope superscripted, "FINANCIAL BID FOR RUNNING SOUTH INDIAN OUTLET AT SHOP NO. 5 OF CHOWPATI AREA, IIT KANPUR"

Both the Technical Bid and the Financial Bid shall further be put in another larger single sealed envelope which shall be dropped in the tender box kept in the Estate Office, Room No. 101-D (Faculty Building), IIT Kanpur, as per the stipulated time mentioned on page no. 3 of this document..

वित्तीय बोली: वित्तीय बोली में अनुलग्नक-2 में वस्तुओं की कीमतें है और कुछ और नहीं है। वित्तीय बोली को एक अलग मुहरबंद लिफाफे में रखा जाना चाहिए जिस पर लिखा हो " आईआईटी कैम्पस के चौपाटी क्षेत्र की दुकान संख्या 5 में साउथ इंडियन व्यंजन की दुकान चलाने हेतु वित्तीय बोली"

तकनीकी बोली और वित्तीय बोली दोनों को एक और बड़े एकल सीलबंद लिफाफे में रखा जाएगा जिसे निर्धारित(पृष्ठ 3 देखें) किये गए समय तक एस्टेट कार्यालय, कमरा सं। 101-डी (फैकल्टी बिल्डिंग) में प्राप्त किया जाएगा।

Signature of the bidder

Any bid containing Technical Bid and Financial Bid in same envelope shall be summarily rejected.

एक ही लिफाफे में तकनीकी बोली और वित्तीय बोली डालने वाले किसी भी बोली दाता की बोली को संक्षिप्त रूप से खारिज कर दिया जाएगा।

20. Any bid received after the aforesaid date and time shall be summarily rejected and will not be considered under any circumstances, whatsoever and no explanation to the effect that delay in submission has been caused due to postal lapse, shall be entertained.

यदि उल्लिखित तिथि एवं समय के पश्चात कोई भी निविदा प्राप्त होती है तो इसको निरस्त कर दिया जाएगा तथा उसको किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा और इस संबंध में किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण (जैसे कि डाक की गलती से निविदा जमा करने में देरी हुई है) पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

21. The tender will remain valid for 30 days from the date of opening. After submission of the bid, it shall be deemed that the bidder has undertaken to keep its tender open for acceptance for the entire period of 30 days and will have no right to withdraw the same before expiry of the said period. In case, intimation of its acceptance is issued to the contractor at a later date, the bidder shall be competent to refuse.

निविदा खुलने के पश्चात निविदा प्रक्रिया 30 दिन के लिए वैध होगी। निविदा जमा करने के पश्चात यह माना जाएगा कि बोली लगाने वाले व्यक्ति ने 30 दिन की अवधि की स्वीकृति हेतु अपनी निविदा को खुला रखा है। इस प्रकार 30 दिन की अवधि समाप्त होने से पूर्व किसी भी परिस्थिति में उसको अपनी निविदा वापस लेने का अधिकार नहीं होगा। यदि 30 दिन की अवधि के पश्चात लाइसेंसधारी को इसकी स्वीकृति की सूचना दी जाती है तो बोली लगाने वाला व्यक्ति इसे मना करने का हकदार होगा।

Opening of Bids/निविदाओं का खुलना

22. First of all, **the Technical bids will be opened on the stipulated date and time as mentioned on page no.3 of this document in Room No. 101-B, Faculty Building** in the presence of authorized representative(s), if any, of bidding parties and the Members of Tender Committee of the Institute. The bidders will also be required to meet the Committee for presentation (to satisfy all material questions pertaining to their company/ firm and their modus-operandi etc.), interview and finalization of the offer.

Thereafter, **financial bids of all the technically qualified bidders only will be opened on the stipulated date and time as mentioned on page no. 3 of this document, in Room No. 101-B, Faculty Building** and considered.

सबसे पहले निर्धारित किये गए दिन एवं समय को (पृष्ठ 3 देखें) बोली लगाने वाले अधिकृत प्रतिनिधि(यों) और संस्थान की निविदा समिति के सदस्यों की मौजूदगी में तकनीकी निविदा खोली जाएगी। बोली लगाने वाले व्यक्तियों को (अपनी कंपनी/फर्म एवं कार्य-प्रणाली से समिति को संतुष्ट करने के लिए) अपने प्रस्तुतिकरण, साक्षात्कार एवं ऑफर को अंतिम रूप देने के लिए समिति के समक्ष प्रस्तुत होना होगा।

इसके पश्चात केवल उन्हीं बोली लगाने वाले व्यक्तियों की वित्तीय निविदा, निर्धारित तारीख और समय पर (पृष्ठ नंबर 3 पर उल्लिखित) खोली जाएगी जिन्होंने तकनीकी निविदा की सभी शर्तों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

23. The party, whose tender is accepted, will have to sign an agreement within 10 days of the award of contract, failing which the Earnest Money deposited by it will be forfeited and the acceptance of its tender may be annulled at the discretion of the Institute.

निविदा प्राप्त करने वाले व्यक्ति को ठेका मिलने के 10 दिन के अन्दर एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने होंगे। यदि संबंधित व्यक्ति 10 दिन के अन्दर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में असफल रहता है तो उसकी अग्रिम जमा राशि को जब्त समझा जाएगा तथा संस्थान के विवेकाधिकार पर निविदा को रद्द माना जाएगा।

Evaluation Criteria for Bid Evaluation/ निविदा मूल्यांकन हेतु मूल्यांकन मानदंड

24. A price advantage factor in the range eg. 0.8 to 1.2 may be assigned to the bidders during technical bid evaluation based on the past performance or perceptive brand value. Only for the technically qualified bidders, the financial bids will be opened. The contract will be awarded to the bidder who will have the least of the (Price adjustment factor X sum of weighted prices in the bid).

पिछले प्रदर्शन या भ्रामक ब्रांड वैल्यू के आधार पर तकनीकी बोली मूल्यांकन के दौरान बोली लगाने वालों को 0.8 से 1.2 की श्रेणी में मूल्य लाभ फैक्टर सौंपा जा सकता है। केवल तकनीकी योग्य बोलीदाताओं के लिए, वित्तीय बोलियां खोली जाएंगी। अनुबंध उस बोलीदाता को दिया जाएगा, जो न्यूनतम योग(मूल्य समायोजन फैक्टर X बोली में वेटेड कीमतों का योग) होगा।

Acceptance/Non-acceptance of bids/ निविदा की स्वीकृति/अस्वीकृति

25. The tenders that do not fulfill any of the above conditions or are incomplete in any respect, are liable to be rejected.

ऐसी निविदाएं जो उल्लिखित शर्तों को पूरा नहीं करतीं अथवा किसी भी रूप में अधूरी हैं, को निरस्त माना जाएगा ।

26. The Institute reserves the right to accept or reject any or all tenders without assigning any reasons thereof and the bidder shall have no right, whatsoever, to challenge the same.

बिना कोई कारण बताए संस्थान के पास किसी अथवा सभी निविदाओं को स्वीकार/ अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। अतः बोली लगाने वाले व्यक्ति के पास इसको चुनौती देने के अलावा अन्य कोई अधिकार नहीं होगा ।

Signature of the Tenderer _____

निविदाकार के हस्ताक्षर

Name _____

नाम

Full Address & Telephone/Mobile No. _____

पूरा पता एवं दूरभाष/मोबाइल नम्बर _____

Paste
passport size
photograph
here

Signature of the bidder

अनुबंध संबंधी नियम एवं शर्तें/TERMS & CONDITIONS OF CONTRACT**Scope of Contract/ अनुबंध का दायरा**

1. The contract comprises the necessary arrangement of all raw materials required for the preparation of south indian cuisine as mentioned in the menu, and serving the prepared articles to the customers, including provision of all materials, equipments for preparation and serving of the articles. This will also include transportation, cost of materials and labor. The contractor shall make his own arrangement for safe storage of materials and accommodation for its staff etc.

इस अनुबंध में भोजनसूची (अनुलग्नक -2) में उल्लिखित समस्त साउथ इंडियन खाद्य पदार्थ तैयार करने हेतु अपेक्षित समस्त कच्चे माल की जरूरी व्यवस्था शामिल है। इसके अतिरिक्त इस अनुबंध में खाद्य पदार्थों को तैयार एवं उपलब्ध कराने हेतु समस्त सामग्री एवं उपकरणों के साथ साथ ग्राहकों को तैयार खाद्य सामग्री परोसने की व्यवस्था भी शामिल होगी। इस अनुबंध में परिवहन, सामग्री की लागत एवं दुकान में कार्य करने वाले व्यक्तियों का वेतन भी शामिल होगा। लाइसेंसधारी को सामग्री के सुरक्षित भण्डारण एवं अपने कर्मचारियों के रहने की स्वयं व्यवस्था करनी होगी।

Definitions/ परिभाषा

2. In the contract, the following definitions, words and expressions shall have the meaning hereby assigned to them except where the contract requires the same otherwise.

इस अनुबंध में निविदाकारों के लिए निम्नलिखित परिभाषा, शब्द एवं अभिव्यक्तियां विनिर्दिष्ट की गई हैं। अनुबंध में उल्लिखित का ही प्रयोग किया जाएगा।

- a. "CEMMC" means "Commercial Establishments Monitoring & Management Committee" constituted by the Director of the Institute.

सी.ई.एम.एम.सी. से तात्पर्य निदेशक द्वारा गठित 'व्यावसायिक प्रतिष्ठान जाँच एवं प्रबंधन समिति' से है।

- b. "Contractor" means the person or persons, firm or company whose tender has been accepted by the Institute and includes the contractor's personal representative, successors and permitted assigns.

कांटेक्टर से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों, फर्म या कंपनी से है जिसकी निविदा संस्थान द्वारा स्वीकृत की गई हो। इसमें लाइसेंसधारी के व्यक्तिगत प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी एवं स्वीकृत वारिस शामिल होंगे।

- c. "Director" means the Director of the Indian Institute of Technology, Kanpur.

निदेशक से तात्पर्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के निदेशक से है।

- d. "Institute" means the Indian Institute of Technology, Kanpur through its Director or his representative.

संस्थान से तात्पर्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर से है जिसका प्रतिनिधित्व निदेशक अथवा उसका प्रतिनिधि करेगा।

- e. "Officer-in-charge (Estate)" means the Officer-in-charge (Estate) of the Indian Institute of Technology, Kanpur who directs and administers the contract.

प्रभारी अधिकारी (संपदा) से तात्पर्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के संपदा कार्यालय के प्रभारी-अधिकारी से है जो इस अनुबंध से संबंधित समस्त प्रशासनिक कार्रवाई को निष्पादित करेंगे।

Documents Forming the Contract/ अनुबंध संबंधी दस्तावेज

3. Appendix A, i.e., the Guidelines for bidders, Appendix B, i.e., terms and conditions of the contract, application/declaration in Annexure 1 (Part I & II), the schedule of quantity and prices filled in Annexure 2, and the letter containing offer of award of tender issued by the Institute to the successful bidder shall be integral part of this contract.

परिशिष्ट A अर्थात् निविदाकारों हेतु दिशा-निर्देश, परिशिष्ट B अर्थात् अनुबंध संबंधी नियम एवं शर्तें। खाद्य सामग्रियों की कीमत एवं गुणवत्ता परिशिष्ट A में भरी जाएगी। आवेदन एवं घोषणा अनुलग्नक -2 में दिये जाएंगे। इसके अतिरिक्त संस्थान द्वारा सफल निविदाकार को निविदा दिये जाने से संबंधित प्रस्ताव इस अनुबंध-पत्र का आंतरिक हिस्सा होगा।

Duration of the contract/ अनुबंध की अवधि

4. The duration of contract will be for **one year, initially**, from the date of signing the contract, first three months being the probation period and on satisfactory completion of the probation period, the contract will automatically be extended for rest of the year i.e. nine months. Further, the contract shall be annually extended (one year at a time) for two more years based on past performance. Under no circumstances shall the contract be extended for more than five years.

संविदा की अवधि शुरू में एक साल के लिए होगी, अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तारीख से, पहले तीन महीनों में परिवीक्षा की अवधि होगी और परिवीक्षा अवधि के संतोषजनक पूरा होने पर, अनुबंध को स्वचालित रूप से शेष वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा, अर्थात् नौ महीने। इसके अलावा, पिछले साल के प्रदर्शन के आधार पर अनुबंध दो साल तक बढ़ाया जाएगा (एक वर्ष में एक वर्ष)। किसी भी परिस्थिति में अनुबंध पांच साल से अधिक के लिए नहीं बढ़ाया जाएगा।

Licence Fee, Electricity Charges & Other Provisions for Licensed premises:

लाइसेंस शुल्क, विद्युत शुल्क एवं लाइसेंसधारी भवन के लिए अन्य प्रावधान

5. The contractor shall be liable to pay the license fee regularly by 7th of each successive month. The monthly license fee is presently at the rate of **Rs.1782/- per month** + cleaning charges of Rs. 250/- per month i.e. a total of **Rs.2032/-** for the shop space (inclusive of water charges) which however, shall be subject to change from time to time at the discretion of the Institute.

लाइसेंसधारी को हर महीने की प्रत्येक 7 तारीख को नियमित रूप से लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होगा। वर्तमान में दुकान परिसर के लिए मासिक लाइसेंस शुल्क **1782/- +250** (सफाई शुल्क) रूपये है (जिसमें पानी के बिल का खर्च भी शामिल है)। हालांकि संस्थान के निर्णयनुसार उक्त लाइसेंस शुल्क में समय-समय पर परिवर्तन होगा।

6. In case of failure to pay the License fee within the stipulated time as aforesaid, the contractor shall be liable to pay a sum of Rs. 100/- p.m. over and above the License Fee on cumulative basis towards delay charges.

यदि उल्लिखित अवधि के दौरान लाइसेंस शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता तो लाइसेंसधारी को लाइसेंस शुल्क के अतिरिक्त संचयी आधार पर विलंब शुल्क के रूप में 100 प्रतिमाह के हिसाब से भुगतान करना होगा।

7. Besides, the contractor shall also be liable to pay the electricity charges on actual consumption basis to the Estate Office at the then prevailing rates along with the payment of monthly Licence fee. For the purpose, there shall be a meter installed in the shop by the Institute. The electricity charges shall however, be subject to revision/change from time to time which shall be payable by the contractor as aforesaid at the then prevailing rates.

लाइसेंसधारी को वास्तविक बिजली खपत के आधार पर उस समय की बिजली दर के हिसाब से संपदा कार्यालय में बिजली बिल का भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त लाइसेंसधारी को मासिक लाइसेंस शुल्क का भुगतान भी करना होगा। इस उद्देश्य हेतु संस्थान द्वारा दुकान में एक मीटर लगाया जाएगा। हालांकि बिजली की दरों में समय-समय पर

Signature of the bidder

परिवर्तन/संसोधन हो सकता है। ऐसी स्थिति में लाइसेंसधारी को उस समय की परिवर्तित दरों के हिसाब से बिजली बिल का भुगतान करना होगा।

8. However in case of non-payment of electricity charges in time, the contractor shall be bound to pay a penalty towards belated payment @ 5% per month of actual dues (to be rounded off) over and above the bill.

हालांकि यदि लाइसेंसधारी समय पर बिजली बिल का भुगतान नहीं करता तो उसे वास्तविक देय (बिल) के अतिरिक्त उसका 5 प्रतिशत बिलंब शुल्क के रूप में देना होगा।

9 Non-payment of Licence fee, the electricity charges and cleaning charges within time shall be deemed to be a serious breach of the contract and may lead to termination of the contract at the discretion of the Institute.

यदि लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस शुल्क, विद्युत शुल्क एवं सफाई शुल्क का समय पर भुगतान नहीं किया जाता तो इसे अनुबंध की शर्तों का गंभीर उल्लंघन माना जाएगा। ऐसी स्थिति में संस्थान अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए उल्लिखित अनुबंध को समाप्त कर सकता है।

11. The contractor shall use the premises ONLY for which it has been given by the Institute under the contract. The use of the premises for other purposes will lead to the suspension/termination of the contract.

लाइसेंसधारी संबंधित परिसर का प्रयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए कर सकता है जिस उद्देश्य के लिए संस्थान द्वारा उसे यह दिया गया है। इसके अतिरिक्त यदि लाइसेंसधारी अन्य किसी दूसरे उद्देश्य के लिए परिसर का प्रयोग करता है तो उल्लिखित अनुबंध को समाप्त कर दिया जाएगा।

12. The contractor shall not use the premises for residential purposes or for any other purposes (including vending of any item other than those for which permission has been given) without prior written permission of the Estate Office. The contractor shall always use the premises in a prudent and careful manner as if it were his own.

संपदा कार्यालय की पूर्व लिखित अनुमति के बगैर लाइसेंसधारी इस परिसर का इस्तेमाल आवासीय उद्देश्य अथवा (अनुबंधित वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य वस्तुएं बचने सहित) अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं करेगा। लाइसेंसधारी परिसर का इस्तेमाल ऐसे बुद्धिमान एवं सावाधानीपूर्वक तरीके से करेगा जैसे कि यह परिसर उसका खुद का हो।

Assignment & Subletting:

नियत कार्य एवं किराये पर लिये हुए को किराये पर उठाना

13. The contractor shall not assign the contract or any part thereof or any benefit or interest thereon or there-under without written consent of the Institute. The whole of the charge included in the contract shall be executed by the Contractor or his authorized competent representative(s). The contractor shall be responsible for the acts, defaults and neglects of its workmen, fully being deemed as those of the contractor itself.

संस्थान की लिखित अनुमति के बगैर लाइसेंसधारी इस परिसर अथवा इसके किसी भाग को अन्य व्यक्ति के सुपुर्द नहीं करेगा और न ही इससे किसी प्रकार का लाभ अथवा इस पर या इसके अंतर्गत ब्याज हासिल करेगा। इस अनुबंध के तहत समस्त जिम्मेदारियों का निर्वहन स्वयं लाइसेंसधारी या फिर उसके अधिकृत एवं सक्षम प्रतिनिधि(यों) द्वारा किया जाएगा। लाइसेंसधारी अपने कर्मियों के कार्यों, गलतियों एवं लापरवाहियों के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। उक्त समस्त कार्यों के लिए लाइसेंसधारी स्वयं जिम्मेदार माना जाएगा।

14. If at any time, it is detected that the shop has been sublet or assigned to any other entity by the contractor, the Institute would be at liberty to terminate the contract forthwith without giving any time to the contractor and further to take over the possession of the given premises and/or to hand over the same to any other party at its sole discretion.

यदि कभी भी यह पाया जाता है कि लाइसेंसधारी द्वारा स्वयं के विवेकाधिकार (निर्णय) पर दुकान को किराये पर अथवा किसी अन्य संस्था के सुपुर्द किया गया हो एवं इसके पश्चात दिये गये परिसर को वापस ले लिया हो तथा/अथवा किसी दूसरी पार्टी को हस्तांतरित कर दिया हो।

15. The entire business of the shop shall be carried out in the name and at the behest of the contractor.

दुकान का समस्त कारोबार लाइसेंसधारी के नाम एवं उसके आदेश पर ही निष्पादित किया जाएगा।

16. The contractor or his authorized/competent representative whose intimation would be provided in writing in advance to the Estate Office, shall at all times be available in the shop and the business of the shop shall not be carried out by any other person/ entity under any circumstances.

जो लाइसेंसधारी अथवा उसके अधिकृत/सक्षम प्रतिनिधि दुकान में हर समय उपलब्ध रहेंगे उसकी सूचना संपदा कार्यालय को पहले से लिखित में दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में दुकान का कारोबार किसी अन्य व्यक्ति अथवा कंपनी द्वारा नहीं किया जाएगा।

17. In normal course, the contractor or his authorized competent person should be available in the canteen. However if for any reason, the contractor is not in a position to be available in the shop consecutively for more than 3 days, a prior permission will have to be obtained from the Estate Office, failing which, it will be deemed that the contractor has violated an essential condition of the contract and the contractor may be dealt with in an appropriate manner for this default which may include adequate penalty at the discretion of the Institute.

आमतौर पर लाइसेंसधारी अथवा उसके अधिकृत सक्षम व्यक्ति को दुकान में मौजूद रहना होगा। हालांकि यदि किसी कारण से लाइसेंसधारी लगातार तीन महीने से अधिक समय तक दुकान आने की स्थिति में नहीं है तो इस संबंध में संपदा कार्यालय की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी। ऐसा न करने पर यह समझा जाएगा कि लाइसेंसधारी द्वारा अनुबंध की अनिवार्य शर्तों का उल्लंघन किया गया है तथा इस स्थिति में उसके विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जा सकती है। इस कार्रवाई में संस्थान के निर्णयानुसार पर्याप्त अर्थदंड भी शामिल हो सकता है।

Shop Timing, Menu, Prices, Facilities and Services etc./दुकान का समय, व्यंजन-सूची, दर, सुविधाएं एवं सेवाएं आदि

18. The shop shall operate from 02:00 p.m. to 04:00 a.m. Running the shop beyond 04:00 a.m. shall be carried out only with the prior permission of the Estate Office.

दुकान का समय दोपहर 2 बजे से प्रातः 4 बजे तक होगा। प्रातः 4 बजे के पश्चात दुकान का संचालन करने के लिए संपदा कार्यालय की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।

19. The Shop shall operate on all seven days of the week and there shall be no holiday under any circumstances, save with the prior instructions/approval of the Estate Office.

दुकान सप्ताह में सातों दिन संचालित की जाएगी तथा संपदा कार्यालय के पूर्व अनुदेश अथवा अनुमोदन के बगैर किसी भी परिस्थिति में कोई अवकाश नहीं रहेगा।

20. All items mentioned in Annexure-2 must be available during the shop working hours. However, the Institute through CEMMC may add or delete any number of items to the menu/Annexure-1 on recommendation of the campus community. All the orders in this behalf shall be issued by the Officer In-charge, Estate.

अनुलग्नक-2 में दर्शाई गई समस्त खाद्य वस्तुएं दुकान के कार्य-समय में उपलब्ध रहनी चाहिए। हालांकि संस्थान परिसर समुदाय की सिफारिश पर व्यंजन-सूची/अनुलग्नक-2 में दर्शाई गई खाद्य सामग्रियों की सूची में जोड़/घटाव कर सकता है। इस संबंध में समस्त आदेश प्रभारी-अधिकारी (संपदा) द्वारा जारी किये जाएंगे।

21. The prices in Annexure-2 are supposed to remain static during the entire contract period and the contractor shall not be entitled to any compensation due to the fluctuation in the market rates of materials and labour. However, the CEMMC may at its discretion and in consultation with the contractor and Warden-in-charge modify the prices of items on quarterly basis in proportion to the overall change in price index as notified at <https://data.gov.in/catalog/state-level-consumer-price-index-ruralurban> for Uttar Pradesh Urban region The price index shall not be applicable to third party items.

However, all modification in prices shall be in INR multiples.

Signature of the bidder

उम्मीद की जाती है कि अनुबंध की पूरी अवधि के दौरान अनुलग्नक-1 में दर्शाई गई समस्त खाद्य वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहेगी। खाद्य वस्तुओं की बाजार दर एवं दुकान कर्मियों के वेतन में वृद्धि के कारण लाइसेंसधारी किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा। हालांकि सी.ई.एम.एम.सी. अपने विवेक तथा लाइसेंसधारी एवं वार्डेन इंचार्ज के साथ परामर्श करके प्राइज इडेक्स (जैसा कि उत्तर प्रदेश शहरी क्षेत्र के लिए <https://data.gov.in/catalog/state-level-consumer-price-index-ruralurban> पर दर्शाया गया) में हुए संपूर्ण परिवर्तन के अनुपात में तिमाही आधार पर खाद्य वस्तुओं की दरों में संसोधन कर सकती है। मूल्य सूची थर्ड पार्टी आइटम पर लागू नहीं होगी।

हालांकि कीमतों में सभी प्रकार के परिवर्तन भारतीय रूपये में होंगे।

22. All necessary furniture and other infrastructure shall be provided by the Licensee.

समस्त आवश्यक एवं अन्य मूलभूत सुविधाएं लाइसेंसधारी द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

23. Facility of Payment by credit, debit and ATM cards, UPI should be made available.)

क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड एवं यूपीआई द्वारा भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

24. Installation of 4 digit campus telephone (via Sanchar Vibhag of IITK) should be made by the contractor adopting appropriate procedure within 10 days from the signing of contract. The charges for the installation and rental shall be borne by the contractor. The contractor should additionally have own mobile number(s) as well as its shop personnel for contact by the Institute Authorities.

The contractor shall display its 4 digit campus telephone no. at one top end of the notice board displaying prices of the items.

अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के 10 दिन के पश्चात उपयुक्त प्रक्रिया का पालन करते हुए लाइसेंसधारी द्वारा (संस्थान के संचार विभाग के माध्यम से) 4 डिजिट वाला कैंपस टेलीफोन लगवाया जाएगा। इसके अतिरिक्त अपना स्वयं का मोबाइल नम्बर भी रखना होगा ताकि जरूरत पड़ने पर संस्थान के अधिकारी संपर्क कर सकें। लाइसेंसधारी द्वारा खाद्य पदार्थों की दर-सूची को प्रदर्शित करने वाले बोर्ड के उपरी किनारे पर इस 4 डिजिट कैंपस टेलीफोन का नम्बर दर्शाया जाएगा।

25. Safety standards should be maintained. Fire extinguishers (2 Kg & 4.5 Kg dry type), sand buckets, should be installed in accessible places and should be in working conditions. List of emergency number should be displayed in a prominent place. First aid measures should also be available for emergencies.

सुरक्षा मानकों का पालन किया जाना चाहिए। अग्निशामक (2 कि.ग्रा. एवं 4.5 कि.ग्रा. सूखा) एवं रेत से भरी हुई बाल्टी सुलभ जगह पर उपलब्ध होनी चाहिए तथा चालू हालत में होनी चाहिए। आपातकालीन नम्बरों को प्रमुख स्थलों पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। आकस्मिक स्थिति के लिए प्राथमिक चिकित्सा संबंधी दवाईयां एवं अन्य समान उपलब्ध होने चाहिए।

26. Small set of services/items for sale along with the price list should be prominently displayed in legible font. Printed price menu should also be available on request. All items in price list should be made available to the customer.

खाद्य सामग्रियों एवं उनकी दरों से संबंधित सूची को पठनीय फॉन्ट साथ दुकान के प्रमुख स्थलों पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। खाद्य सामग्री एवं दर से संबंधित प्रिंटेड प्रपत्र भी उपलब्ध होने चाहिए। उक्त प्रपत्र मांगे जाने पर ग्राहक को उपलब्ध कराये जाने चाहिए।

27. The Contractor shall have to provide proper and smooth services to the customers to their satisfaction.

लाइसेंसधारी को ग्राहकों की संतुष्टि के लिए उपयुक्त एवं निर्विघ्न सेवाएं उपलब्ध करानी होंगी।

28. Any loss to the Campus residents with regard to the services provided by the contractor shall be the responsibility of contractor. The Institute shall be indemnified in this regard and shall not be a part of any legal proceedings thereto.

लाइसेंसधारी द्वारा परिसरवासियों को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए लाइसेंसधारी स्वयं उत्तरदायी होगा। संस्थान की इसके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और न ही इस संबंध में होने वाली किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई में भागीदार होगा।

29. All the items prescribed as per the tender agreement should be made available at all times. Permission for any alteration, addition or deletion should be obtained from estate office along with the prices of respective items.

निविदा अनुबंध के अनुसार निर्धारित समस्त प्रकार की खाद्य वस्तुएं हर समय दुकान में उपलब्ध रहनी चाहिए। व्यंजन सूची में किसी भी प्रकार के परिवर्तन अर्थात् जोड़ या घटाव के लिए संबंधित खाद्य पदार्थ की दर के साथ संपदा कार्यालय से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

30. For the consumers who are not willing to pay in cash, the contractor shall facilitate with a swipe payment machine and shall also provide in the shop the UPI based payment system. The contractor shall further display its VPA (virtual payment address) or Q-Code on the display board to enable the consumers make the payments via UPI App (BHIM or equivalent).

नगद भुगतान करने में असमर्थ ग्राहकों के लिए लाइसेंसधारी को स्वाइप मशीन उपलब्ध करानी होगी। इसके अतिरिक्त दुकान के अन्दर UPI आधारित पेमेंट सिस्टम भी उपलब्ध कराना होगा। लाइसेंसधारी को स्क्रीन पर अपने VPA (वर्चुअल पेमेंट एड्रेस) अथवा Q-Code प्रदर्शित करना होगा ताकि ग्राहक UPI ऐप (भीम अथवा समकक्ष) के माध्यम से अपना भुगतान करने में समर्थ हो सके।

Liability of GST and Other Taxes/जी एस टी अथवा अन्य करों की देयता

31. The contractor shall be absolutely liable for payment of GST to the respective department on items sold in the canteen. The Institute shall have no liability, whatsoever, in this regard and shall be deemed to be immune and indemnified in all respects.

लाइसेंसधारी संबंधित विभाग को दुकान के अन्दर विक्रय की गई वस्तुओं पर जीएसटी के भुगतान के प्रति पूरी तरह से उत्तरदायी होगा। इस संबंध में संस्थान हर प्रकार की देयता से मुक्त समझा जाएगा।

32. The contractor shall further be liable to pay to the Institute GST at the rate applicable from time to time on the Licence fee payable by it. The GST shall be payable over and above the Licence Fee and the Office concerned shall for accounting purposes issue a Tax invoice/receipt with GSTIN to the vendor in confirmation thereof.

इसके अतिरिक्त समय-समय पर लागू दर के हिसाब से लाइसेंसधारी को लाइसेंस शुल्क पर संस्थान को जीएसटी का भुगतान करना होगा। लाइसेंसधारी को लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होगा तथा संबंधित कार्यालय लाइसेंसधारी को लेखा उद्देश्य हेतु जीएसटी जमा करने संबंधी GSTIN सहित Tax invoice/receipt जारी करेगा।

33. The contractor shall also be liable to pay all other taxes, levies and other legal payables that may be applied by the Government, local authorities and other competent forums from time to time.

लाइसेंसधारी को सरकार, स्थानीय प्राधिकारी तथा अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा समय-समय पर लगाए जाने वाले अन्य करों, वसूली तथा दूसरी विधिक देयताओं का भुगतान भी करना होगा।

34. The contractor shall not tamper with the trees, plants, shrubs hedges, lawns and flowers standing or maintained on or around the said shop or in other places of the campus.

लाइसेंसधारी दुकान के आस-पास तथा परिसर में अन्य स्थलों पर लगे हुए पेड़, पौधों, झाड़ियों, बाड़ों तथा पुष्पों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा

35. The contractor shall not make any addition or alteration to the building of the said shop/premises or tamper with the fittings or electrical installations therein, nor make any unauthorized constructions or extension to the electricity or water supply lines, without the specific written permission of the Licensor in this behalf.

लाइसेंसधारी संबंधित विभाग की पूर्व लिखित अनुमति के बगैर दुकान के अन्दर न तो किसी भी प्रकार का फेर-बदल (तोड़-फोड़) करेगा और न ही इसके अन्दर फिटिंग अथवा इलेक्ट्रिकल इन्स्टालेशन को नुकसान पहुँचाएगा और न ही दुकान के अन्दर अनधिकृत निर्माण अथवा विद्युत या जल आपूर्ति की लाइन में विस्तार करेगा।

Quality, hygiene & cleanliness/गुणवत्ता एवं स्वच्छता

36. The contractor shall maintain the quality in preparation of articles, constant supply of cold drinking water & availability of fresh items. There shall be no compromise in regard to the quality of items to be sold in the Shop premises.

लाइसेंसधारी खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता, ठंडे पेय जल की सतत आपूर्ति एवं ताज़ी खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता को बरकरार रखेगा। दुकान में विक्रय किये जाने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।

37. The contractor shall maintain full hygienic conditions in the Canteen, in storage, preparation and servicing of eatables and in keeping the floor, furniture, utensils, crockery, cutlery neat and clean, so as to maintain the standards and aesthetic values in the Canteen. The contractor shall also have to make his own arrangements for safe storage of materials including the food items.

लाइसेंसधारी दुकान, गोदाम, खाद्य वस्तुओं को तैयार तथा परोसते समय साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखेगा। साथ ही साथ फर्श, फर्नीचर, बर्तन, क्राकरी, छुरी-काँटा को भी साफ-सुथरा रखेगा ताकि दुकान के मानक एवं सौंदर्य को बरकरार रखा जा सके। लाइसेंसधारी को खाद्य पदार्थों सहित सामग्री के सुरक्षित भण्डारण हेतु स्वयं व्यवस्था करनी होगी।

38. The premises should be kept well ventilated and well lit. No display/encroachment is allowed outside the premises.

दुकान परिसर के अन्दर हवा एवं रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। दुकान परिसर के बाहर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण अथवा सामान रखने की अनुमति नहीं होगी।

39. Garbage and waste disposal should be done as per the institute norms. Pest/rodent control should be done regularly every six months.

कूड़े-कचरे तथा अपशिष्ट पदार्थों की संस्थान के मानकों के अनुरूप व्यवस्था करनी होगी। हानि कारक कोड़े-मकोड़ों तथा चूहों को नियंत्रित करने की व्यवस्था प्रत्येक छः माह के अन्तराल पर करनी होगी।

40. Old/stale and expired items (i.e. beyond expiry date) should not be kept in the canteen.

पुराने बासी तथा इक्स्पाइर्ड खाद्य पदार्थों को दुकान के अन्दर रखने अथवा विक्रय करने की अनुमति नहीं होगी।

41. Usage of plastic bags is a strict NO and the same shall not be used any under circumstances, whatsoever. Instead use of Paper bags/plates/cups/etc. is encouraged. Cloth bags may be made available for users (at nominal charges).

प्लास्टिक की थैलियों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है तथा किसी भी परिस्थिति में इनका प्रयोग नहीं होगा। इनके स्थान पर कागज़ के बैग/प्लेट्स/कप के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ग्राहकों को बहुत मामूली दर पर कागज़ के थैलें उपलब्ध कराये जाने चाहिए।

Directives of CEMMC and Estate Office/ सीईएमएमसी एवं संपदा कार्यालय के दिशा-निर्देश

42. The contractor shall carry out the work in accordance with this contract and the directives of Office-in-Charge (Estate) and to the satisfaction of the Director through the CEMMC. The CEMMC may, from time to time, issue further instructions, detailed directions and explanations in regard to:

- The variation or modification in the menu of eatables including additions/omission or substitution.
- The removal from the site of any material thereon by the contractor and the substitution of any other materials thereon.
- The removal from the work of any person employed thereupon in terms of the provision provided hereafter.
- Inspection of raw materials, other equipment and utensils.
- Maintenance of proper hygienic conditions, cleanliness and neatness pertaining to all aesthetic values.

लाइसेंसधारी को अनुबंध तथा कार्यालय-प्रभारी (संपदा) के दिशा-निर्देशों एवं सीईएमएमसी के माध्यम से निदेशक की संतुष्टि के अनुरूप कार्य करना होगा। सीईएमएमसी अधोलिखित के संबंध में समय समय पर अनुदेश, विस्तृत दिशा-निर्देश तथा अन्य स्पष्टीकरण जारी कर सकती है।

- वृद्धि/विलोप अथवा प्रतिस्थापना सहित व्यंजन सूची की दरों में कसी भी प्रकार का फेरबदल अथवा परिवर्तन
- लाइसेंसधारी द्वारा साइट से कोई सामग्री हटाना एवं उस सामग्री के बदले अन्य सामग्री।
- भविष्य में लागू प्रावधानों के कारण वर्तमान में नियुक्त किसी कर्मचारी को कार्य से हटाना।
- कच्ची सामग्री, अन्य उपकरणों एवं बर्तनों का निरीक्षण।
- स्वच्छता, शुद्धता एवं उचित स्वास्थ्यकर संबंधी वातावरण का रखरखाव।

Fuel for Cooking/ खाना बनाने में प्रयुक्त होने वाला इंधन

43. The Contractor shall use only the PNG/Induction for cooking and no other fuel and it is a must. Accordingly, the contractor shall ensure obtaining commercial PNG connection from the Central UP Gas Ltd. (CUGL) who has its PNG supply line installed in the Institute premises. Commercial LPG cylinders could be used only when the PNG supply is obstructed due to some break down or for some other reasons.

खाना बनाने के लिए लाइसेंसधारी केवल पीएनजी/इन्डक्शन का ही प्रयोग करेगा। इसके अतिरिक्त खाना बनाने के लिए अन्य किसी प्रकार के इंधन की अनुमति नहीं होगी। तदनुसार लाइसेंसधारी को कमर्शियल पीएजी कनेक्शन लेना होगा। कमर्शियल एल पी जी गैस सिलेन्डर के प्रयोग की अनुमति केवल तभी होगी जब पीएनजी आपूर्ति में खराबी अथवा अन्य कारण से बाधा उत्पन्न हो रही हो।

Deployment of Workmen/ कर्मियों की नियुक्ति

44. The contractor shall employ in running the shop only such persons as are careful, skilled, experienced in their trades, dutiful, sober, well behaved and rules compliant.

दुकान संचालित करने के लिए लाइसेंसधारी केवल ऐसे कर्मियों को ही नियुक्त करेगा जो अपने कार्य में कुशल, अनुभवी, आज्ञाकारी, सुशील, व्यवहार कुशल एवं नियमों को मानने वाला हो।

45. Worker(s) in the shop shall be deployed after his/her deployment is cleared by the Estate Office and for this purpose, the contractor shall provide the details of them in the given format.

दुकान में कर्मियों को नियुक्त करने से पूर्व लाइसेंसधारी को संपदा कार्यालय से उनकी नियुक्ति से संबंधित अनुमोदन प्राप्त करना होगा। इस कार्य के लिए लाइसेंसधारी को प्रदत्त प्रपत्र में संबंधित कर्मियों का विवरण उपलब्ध कराना होगा।

46. The contractor shall neither employ any child labour nor any worker who is below 18 years of age.

लाइसेंसधारी बच्चों तथा 18 साल से कम उम्र के कर्मियों की नियुक्ति नहीं करेगा।

Signature of the bidder

47. No female employee shall be allowed to work in the shop during night i.e. 8:00 pm to 6.00 am.
रात्रि 8 से सुबह 6 बजे के मध्य महिला कर्मियों को दुकान के अन्दर कार्य करने की अनुमति नहीं होगी।

48. All the workers shall invariably carry their ID Cards (to be provided by the contractor at its own costs) and shall be produced to the security personnel and other Institutes authorities, whenever asked for.

दुकान के अन्दर कार्य करने वाले कर्मियों को हमेशा अपने साथ पहचान पत्र रखना होगा। कर्मियों को यह पहचान पत्र लाइसेंसधारी द्वारा स्वयं के खर्च पर उपलब्ध कराना होगा। सुरक्षा कर्मियों एवं संस्थान के अन्य अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर दुकान-कर्मियों को यह पहचान पत्र दिखाना होगा।

49. The bearers for servicing in Shop will have to be provided uniforms by the contractor during the working hours at its own cost and they will be unfailingly required to wear in neat and tidy manner the uniforms during working hours.

कार्य अवधि के दौरान दुकान के अन्दर सेवाएं देने वाले कर्मियों को लाइसेंसधारी स्वयं के खर्च पर यूनिफॉर्म उपलब्ध करायेंगा। कार्य-अवधि के दौरान कर्मियों साफ-सुथरे एवं व्यवस्थित तरीके से हमेशा उक्त यूनिफॉर्म के पहनकर रखेंगा।

50. The Contractor shall be absolutely responsible for strict adherence of discipline and good conduct by its workers.

कर्मियों द्वारा आचरण तथा अनुशासन का कड़ाई से अनुपालन कराने की जिम्मेदारी पूर्णतया लाइसेंसधारी की ही होगी।

51. The contractor shall be bound to remove any such worker and disallow him/her from entering into the Institute premises whom the Institute does not deem appropriate to continue within the Institute premises for administrative or any other reasons.

लाइसेंसधारी आचरण तथा अनुशासन का कड़ाई से अनुपालन न करने वाले कर्मियों को दुकान से निकालने के लिए बाध्य होगा तथा संस्थान प्रशासनिक अथवा अन्य कारणों से जिन कर्मियों को परिसर के अन्दर जारी रखना उपयुक्त नहीं समझता, उनके प्रवेश पूर्णतया वर्जित रहेगा।

52. The contractor shall have absolute authority in regard to the engagement, disengagement, suspension, termination, retrenchment, dismissal and discharge etc. of its workmen and for all disciplinary actions against them. The contractor shall be responsible of master and servant relationship with its workmen and the Institute shall have no concern, whatsoever, with all the above mentioned matters.

लाइसेंसधारी अपने कर्मियों को काम में लगाने, हटाने, निलंबित, निष्कासित, छटनी, बर्खास्ती एवं सेवामुक्त करने अथवा उनके विरुद्ध समस्त प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए पूर्णरूप से स्वतंत्र होगा। लाइसेंसधारी अपने कर्मियों के संदर्भ में मालिक तथा नौकर के संबंधों के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा तथा संस्थान का उल्लिखित मामलों में किसी भी प्रकार का कोई सकोकार नहीं रहेगा।

53. The contractor shall be absolutely liable in regard to any dispute or other matters concerning its workmen which are initiated in any forum or court of law and shall further be liable to meet and discharge all the liabilities that may arise on account of its relationship with its worker from the decisions of any court including all liabilities as are thrust upon by virtue of the provisions of any labor law being in force at the time besides other statutory liabilities.

लाइसेंसधारी अपने कर्मियों से संबंधित ऐसे किसी भी विवाद अथवा मामले, जिनको किसी फोरम अथवा न्यायालय में चुनौती दी जाती है, के प्रति पूर्णरूप से उत्तरदायी होगा। लाइसेंसधारी को अन्य सांविधिक देयताओं के साथ-साथ उस समय लागू श्रम कानून के प्रावधानों के तहत देय समस्त देयताओं का भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त न्यायालय के निर्णय के आधार पर नौकर-मालिक के संबंधों के कारण उत्पन्न अन्य समस्त प्रकार की देयताओं का भी लाइसेंसधारी भुगतान करना होगा।

54. The contractor shall further be liable to make good the loss to the property of the Institute, if any that may be caused on account of any non responsible action on the part of its workers, whether deliberate or otherwise.

यदि लाइसेंसधारी के किसी कर्म की गैर-जिम्मेदाराना हरकतों (चाहे जानबूझकर अथवा अनजाने में) की वजह से संस्थान की सम्पत्ति को कोई नुकसान पहुँचता है तो इसकी भरपाई स्वयं लाइसेंसधारी को करनी होगी ।

Compliance of Statutory Obligations and Other Provisions/ सांविधिक बाध्यताओं एवं अन्य प्रावधानों का अनुपालन

55. It is understood that a number of enactments and laws would apply to the contractor, which are supposed to be complied by the contractor in letter and spirit and in particular to laws relating to minimum wages to worker, employees compensation and Goods and Service Tax etc.

यह सर्वविदित है कि लाइसेंसधारी पर कई प्रकार के नियम एवं कानून लागू होते हैं और लाइसेंसधारी से यह उम्मीद की जाती है कि वह इन नियम एवं कानूनों को अक्षरशः अनुपालन करेगा विशेषरूप से कर्मियों को न्यूनतम वेतन, कर्मचारी मुआवजा एवं जी एस टी आदि से संबंधित नियम एवं कानूनों के संबंध में ।

56. The licensee shall ensure that no product shall be sold from the premises which is prohibited to be sold within the premises of an educational institute, as per the provisions of the Cigarette and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003.

लाइसेंसी पूर्ण रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि वह परिसर के अन्दर ऐसा कोई भी उत्पाद नहीं बेचेगा जिसकी बिक्री सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 के तहत पूर्णरूप से प्रतिबंधित हो।

57. The contractor shall be liable to ensure compliance of all enactments, rules, regulations and of other authorities besides the instructions of the Institute that may be in force from time to time including all the labour laws, employees compensation and the minimum wages, as well as Weights and Measures and Prevention of Food Adulteration etc.

57 (a) On award of contract, the vendor shall mandatorily apply for FSSAI License within one week and shall get the license before the end of the probation period. The copy of the same should be submitted to the Estate Office.

लाइसेंसधारी को श्रम कानून, कर्मचारी मुआवजा एवं न्यूनतम वेतन के साथ साथ नाप-तौल, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम सहित संस्थान द्वारा समय-समय पर लागू निर्देशों के अतिरिक्त समस्त अधिनियमों, नियमों, विनियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा ।

a) ठेका मिलने पर लाइसेंसधारी को एक सप्ताह के अन्दर FSSAI लाइसेंस के लिए अनिवार्य रूप से आवेदन करना होगा एवं परिवीक्षा काल की समाप्ति से पूर्व लाइसेंस हासिल करना होगा । उल्लिखित लाइसेंस की एक प्रति संपदा कार्यालय में जमा करनी होगी ।

58. The Contractor shall be liable to make good the losses in financial terms that it may be subjected from time to time on account of any lapse on its part or arising out of statutory liabilities including the dues towards the workers in regard to wages, court awards, compensation which are caused to be paid/borne by the Institute due to the contractor's failure, as well as the Institute's license fee, electricity charges and other dues etc. The contractor shall pay all such dues to the Institute within fifteen days from the receipt of letter issued by the Institute in this behalf failing which; the same would be recovered/realized from the contractor's security deposit.

लाइसेंसधारी को ऐसी आर्थिक क्षति की भरपाई करनी होगी जो समय-समय पर लाइसेंसधारी की गलती अथवा अन्य सांविधिक देयताओं के कारण उत्पन्न हो सकती है । इस क्षति में वेतन के रूप में कर्मियों की देयताएं, न्यायलय द्वारा दिया गया अर्थदंड एवं मुआवजा शामिल हो सकता है। यदि लाइसेंसधारी की विफलता के कारण संस्थान उक्त आर्थिक क्षति की भरपाई करता है तो ऐसी स्थिति में लाइसेंसधारी को संस्थान प्रशासन द्वारा इस संबंध में जारी किये गये आदेश की

Signature of the bidder

प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर संस्थान को इस राशि का भुगतान करना होगा। उल्लिखित राशि का भुगतान न करने की स्थिति में इस राशि की वसूली लाइसेंसधारी द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि से कर ली जाएगी।

59. The Institute shall be absolutely immune and deemed indemnified in all matters, claims, liabilities and legal consequences which relates to compliance of statutory provisions, rules and regulations, orders and directions of Govt. authorities/ municipal corporation/courts/forum etc. as well as the provisions of this contract agreement. In case, the Institute is put to bear any liability for lapses on the part of the contractor or for its illegal actions, the Institute would have the right to realize from the contractor all dues if those are in financial terms, and on other matters, in appropriate manner as it deems appropriate including adopting legal recourse.

संस्थान: सांविधिक प्रावधानों, नियमों और विनियमों, सरकारी प्राधिकारियों/नगर निगमों/ न्यायलयों/अदालतों के आदेशों एवं निर्देशों से संबंधित समस्त मामलों, दावों, देयताओं एवं कानूनी फैसलों के साथ-साथ इस अनुबंध के समस्त प्रावधानों से पूरी तरीके से मुक्त एवं सुरक्षित रहेगा। यदि लाइसेंसधारी की विफलता अथवा उसके खिलाफ की गई कानूनी कार्रवाई के कारण संस्थान को किसी भी प्रकार की देयता वहन करनी पड़ती है तो फिर संस्थान लाइसेंसधारी से वित्तीय देयताओं की वसूली करने के साथ साथ उसके विरुद्ध उपयुक्त कानूनी कार्रवाई का निर्णय भी ले सकता है।

60. The contractor would comply with all guidelines/instructions issued by the Officer In-charge (Estate) in consultation with the Chairman, CEMMC besides following other Institute Orders/ instructions of security authorities concerning the security/safety issues and Institute discipline.

सी ई एम एम सी के अध्यक्ष से विचार-विमर्श के पश्चात प्रभारी अधिकारी (संपदा) द्वारा जारी किए गये समस्त दिशा-निर्देशों/अनुदेशों का लाइसेंसधारी द्वारा अनुपालन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त लाइसेंसधारी द्वारा सुरक्षा/संरक्षा एवं अनुशासन से संबंधित सुरक्षा अधिकारियों द्वारा जारी किये गये आदेशों/अनुदेशों का भी पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

61. The Contractor shall ensure that it and its employees' do not adversely affect the peaceful and congenial atmosphere of the Institute's premises.

लाइसेंसधारी इस बात को भी सुनिश्चित करेगा कि न तो वह स्वयं और न ही उसका कोई कर्मचारी संस्थान परिसर के शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण को दूषित करेगा।

Security Deposit /जमा प्रतिभूति

62. The contractor shall have to deposit a security of **Rs. 50,000/- (Rs. Fifty thousand only)** through FDR drawn in favor of "The Registrar, IIT Kanpur" payable at Kanpur, of any scheduled nationalized bank and which should be valid till three months after the completion of the contract duration.

लाइसेंसधारी को FDR के माध्यम से 50,000 (केवल पचास हजार रुपये) की प्रतिभूति राशि जमा करनी होगी जो 'कुलसचिव भारतीय प्रौद्योगिकी कानपुर' के पक्ष में होनी चाहिए तथा कानपुर स्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में देय हो। उक्त FDR की वैधता निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात 03 महीने की अवधि के लिए होनी चाहिए।

63. If at any time, due to any reasons as mentioned in the foregoing clauses or otherwise, any short fall is caused to the security deposit money, the contractor shall be liable to make good such short fall within fifteen days of the receipt of notice in this behalf, through another FDR deposit as aforesaid.

यदि किसी भी समय तथा किसी भी कारण से (जिसका कि पूर्व के अनुच्छेदों अथवा कहीं और पर उल्लेख किया गया हो) जमा प्रतिभूति राशि में कोई कमी आती है तो लाइसेंसधारी को इस संबंध में नोटिस प्राप्त होने के पन्द्रह दिनों के अन्दर एक अन्य FDR जमा करके इस कमी को पूरा करना होगा।

64. In case of, in which under no clause(s) of this contract, the contractor shall have rendered himself liable to pay compensation amounting to the whole of his Security Deposit, the Director shall have the power to adopt the following course as may be deemed by him best suited to the institute. To rescind the contract (of which decision, notice in writing to the contractor by him through competent authority, shall be conclusive evidence)

in which case, the security deposit of the contractor shall stand forfeited and be absolutely at the disposal of the institute. Besides, for the recovery of any amount in excess of the security money, the Institute shall be at liberty to adopt such legal recourse, as it may deem appropriate at the time.

यदि इस अनुबंध के अनुच्छेद (दों) के अतिरिक्त अन्य कारणों से भी जमा प्रतिभूति राशि में कोई कमी आती है तो लाइसेंसधारी संपूर्ण जमा प्रतिभूति के बराबर राशि की क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। निदेशक को (जैसा कि उनके द्वारा संस्थान के सर्वश्रेष्ठ हित में उपयुक्त समझा जाएगा) निम्नलिखित कार्रवाई करने का अधिकार होगा: अनुबंध को रद्द करना (जिसकी सूचना सक्षम अधिकारी के माध्यम से लाइसेंसधारी को दी जाएगी)। ऐसे मामले में लाइसेंसधारी द्वारा जमा प्रतिभूति राशि को जब्त कर लिया जाएगा और इसके निपटारे का पूर्ण अधिकार संस्थान के पास होगा। इसके अतिरिक्त जमा प्रतिभूति से अधिक राशि की वसूली करने के लिए संस्थान उपयुक्त समझे जाने वाली कोई भी कानूनी कार्रवाई को करने के लिए स्वतंत्र होगा।

65. If the contractor breaches any terms and conditions of the agreement which is deemed to be serious by the Institute, its security deposit may be forfeited either in part or in full as the Institute may deem appropriate, at its discretion.

यदि लाइसेंसधारी द्वारा इस अनुबंध की किसी ऐसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है जिसको संस्थान द्वारा गंभीरता से लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में संस्थान अपने विवेकाधिकार से लाइसेंसधारी द्वारा जमा की गई राशि को आंशिक अथवा पूर्णरूप में जब्त कर सकता है।

Complaint Mechanism/ शिकायत तंत्र

66. The contractor shall maintain a complaint book in the shop wherein the consumers may register their complaints. The complaint book shall be produced every month on the first working day before the Estate Office through the warden In-charge for necessary action.

लाइसेंसधारी को दुकान के अन्दर अनिवार्यरूप से शिकायत पुस्तिका उपलब्ध करानी होगी जिसमें ग्राहक अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। उक्त शिकायत पुस्तिका प्रत्येक महीने के प्रथम कार्य-दिवस पर वार्डन-इन-चार्ज के माध्यम से संपदा कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।

67. The complaints shall be removed or dealt with by the contractor on priority basis on issues that concern the contractor and a compliance report thereon, shall be submitted to the Estate Office along with the production of complaint book.

लाइसेंसधारी द्वारा शिकायतों का निवारण प्राथमिक आधार पर किया जाएगा तथा शिकायत पुस्तिका सहित अनुपालन रिपोर्ट को संपदा कार्यालय में जमा करनी होगी।

68. The contractor shall be liable to be penalized or fined in cases of defaults and negligence on its part or for complaints in the manner provided hereafter at the discretion of the Institute and/or at behest of the CEMMC. Such penalty or fines shall be imposed through the Officer In-charge (Estate) according to the nature of the complaints. The first penalty in such case would be to the tune of Rs. 1000/-, Rs. 2000/-, the second time and Rs.5000/-, the third time.

लाइसेंसधारी को स्वयं की गलती एवं लापरवाही अथवा संस्थान या फिर सी ई एम एम सी की ओर से शिकायत मिलने पर दण्ड अथवा अर्थदण्ड दिया जा सकता है। इस प्रकार का दण्ड शिकायत के स्वरूप के आधार पर प्रभारी अधिकारी (संपदा) द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। इस प्रकार के मामलों में पहली बार 1000, दूसरी बार 2000 तथा तीसरी बार 5000 रूपये की राशि का अर्थदंड लगाया जा सकता है।

69. However if the complaints of identical nature still persist, the Institute would be at liberty to terminate the contract forthwith without giving any more notices.

इसके पश्चात भी यदि इसी प्रकार की शिकायतों का मिलना जारी रहता है तो फिर संस्थान इस संबंध में संबंधित लाइसेंसधारी को और अधिक नोटिस दिये बिना उसके अनुबंध को सीधे-सीधे समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

Signature of the bidder

Termination of contract/अनुबंध की समाप्ति

70. Either party may terminate the contract by giving 30 days notice to the other party without assigning any reasons, whatsoever.

कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी को कोई भी कारण बताए बिना 30 दिन का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त कर सकती है।

71. The contract may be terminated in terms of any provisions stipulated elsewhere in the contract.

अनुबंध के अन्दर उल्लिखित हर एक प्रावधान के संदर्भ में यह अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।

72. In case, the contract is terminated or it comes to an end by efflux of time, the contractor shall handover the vacant possession of the licensed premises within 07 days of contract coming to an end. Failure to handover the vacant possession of the premises as aforesaid, would render the contract to pay a penal rent to the Institute @ **Rs.175 per Sq. Meter** or at such higher rate as the Institute may deem appropriate at its absolute discretion. The penal rent under no circumstances shall be subject to question and it is the specific term of this contract.

यदि अनुबंध समाप्त किया जाता है या फिर यह समय से पूर्व समाप्त होता है तो लाइसेंसधारी को अनुबंध समाप्त होने से पूर्व 07 दिनों के अन्दर लाइसेंसधारी परिसर के खाली आधिपत्य को सौंपना होगा। यदि लाइसेंसधारी उल्लिखित अवधि के अन्दर परिसर के खाली आधिपत्य को सौंपने में विफल रहता है तो संस्थान उसके विरुद्ध उचित कार्रवाई कर सकता है।

73. The Institute shall further be within its absolute rights to enter the premises and assume absolute possession of the premises licensed under this contract from the contractor and the same shall not be subject to challenge. All the goods belonging to the contractor in such circumstances shall be deemed forfeited there-from and may be sold or put to auction at the discretion of the Institute. The Institute may, if it so desires, proceed against the contractor in terms of provisions of Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1971 since the entire premises is governed by the provisions of the said Act in case of non handing over its possession to the Institute as aforesaid.

इसके अतिरिक्त संस्थान के पास परिसर के अन्दर प्रवेश करने तथा इस अनुबंध के तहत लाइसेंस पर दिये गये परिसर पर आधिपत्य करने का पूर्ण अधिकार होगा और इसको कहीं पर भी चुनौती नहीं दी जाएगी। उक्त परिस्थिति उत्पन्न होने पर लाइसेंसधारी से संबंधित समस्त सामान को जब्त कर लिया जाएगा तथा संस्थान के आदेश पर इस सामान को या तो बेच दिया जाएगा या फिर इसकी नीलामी कर दी जाएगी। यदि लाइसेंसधारी उल्लिखित स्थिति उत्पन्न होने पर संस्थान को परिसर का आधिपत्य नहीं सौंपता है तो फिर संस्थान अपनी स्वेच्छा से सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत किरायेदार बेदखली) अधिनियम 1971 के प्रावधानों के तहत लाइसेंसधारी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सकता है क्योंकि कि संपूर्ण परिसर उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत शासित किया जाता है।

Contract Documents and their interpretations / अनुबंध दस्तावेज एवं अन्य व्याख्याएं

74. The original agreement shall remain with the Institute while a photocopy thereof may be had by the contractor, if it so wishes.

मूल अनुबंध संबंधी दस्तावेज संस्थान के पास रहेंगे। हालांकि यदि लाइसेंसधारी चाहे तो अनुबंध संबंधी दस्तावेजों की छायाप्रति अपने पास रख सकता है।

75. The several documents forming the contract are to be taken mutually explanatory to one another and in case of any ambiguities or discrepancies, the interpretations of the same shall be communicated in writing by the Institute through its competent authority to the contractor along-with the directions, if any, and the same shall be deemed to be final and binding and shall not be open to question in court.

अनुबंध संबंधी कई दस्तावेज एक-दूसरे के लिए परस्पर स्पष्ट किये गये हैं। हालांकि किसी भी प्रकार की अस्पष्टता एवं विसंगति उत्पन्न होने पर इसका स्पष्टीकरण (दिशा-निर्देशों सहित यदि कोई है) संस्थान द्वारा सक्षम अधिकारी के माध्यम से लाइसेंसधारी को प्रेषित किया जाएगा तथा इस स्पष्टीकरण को अंतिम एवं बाध्यकारी माना जाएगा एवं उक्त स्पष्टीकरणों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी।

Jurisdiction/ अधिकार क्षेत्र

76. All matters and disputes under this contract shall be subject to the jurisdiction of Kanpur Nagar District Courts only.

इस अनुबंध के तहत आने वाले समस्त विषय एवं विवाद केवल कानपुर नगर स्थित जिला न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र के अधीन होंगे।


Signature of the Bidder
निविदादाता के हस्ताक्षर

Full name of the Bidder _____
निविदादाता का पूरा नाम.....

Address _____

पता.....
.....
.....

Mobile No. _____
मोबाइल:.....Seal/मुहर.....



APPLICATION FOR RUNNING THE SOUTH INDIAN OUTLET AT SHOP NO. 5, CHOWPATI AREA
IIT KANPUR

Name of the Applicant -----
(If an individual)/Firm

Father's Name -----

Address of self and Firm -----

Phone No./Mobile No. -----

Aadhar No. -----

Details of EMD

a. Amount : Rs. 10,000/-
b. FDR No. : _____
c. Dated : _____
d. Bank & Branch : _____

GST NO -----

PAN No. -----

EPF Code No., if any -----

ESI Code No., if any -----

Experience, if any (in years) -----

Name and address of two responsible persons as guarantors:

Name -----	Name -----
Aadhar No. -----	Aadhar No. -----
Address -----	Address -----
-----	-----
-----	-----

Declaration:

I hereby undertake –

1. That I shall bear all the expenses if there is any damage to the said premises.
2. That I shall vacate the Shop premises and handover it to the Institute whenever a notice is served.
3. That I bind myself to the terms and conditions of this tender document.

Date:

Signature of the applicant
Seal

Signature of the bidder

Part II:

Details to be filled by the bidder:

IN CASE THE BIDDER IS A FIRM		IN CASE THE BIDDER IS AN INDIVIDUAL	
Income Tax Registration Certificate/PAN No. _____		Income Tax Registration Certificate/PAN No. _____	
Bank statement for the last one year of the registered firm enclosed: Yes/No		Bank statement for the last one year of the Individual's account: Yes/No	
GST Registration Certificate/No. _____ Document Enclosed: Yes/No		GST registration of the last work. _____ Document Enclosed: Yes/No	
Firm Registration No. _____ Document Enclosed: Yes/No		Not required	
No of employees _____		No of employees _____	
EPF registration No. _____ Document Enclosed: Yes/No		EPF registration No. _____ Document Enclosed: Yes/No	
ESIC Registration No. _____ Document Enclosed: Yes/No		ESIC Registration No. _____ Document Enclosed: Yes/No	
No of years of experience _____ Document Enclosed: Yes/No		No of years of experience _____ Document Enclosed: Yes/No	
Whether worked in Government/semi-government/autonomous body and reputed Institute: Yes/No		Whether worked in Government/semi-government/autonomous body and reputed Institute Yes/No.	
Name of the Government/semi-government/autonomous body & Institute where last worked/currently working.		Name of the Government/semi-government/autonomous body & Institute where last worked/currently working.	
Institute Name	Years of experience	Institute Name	Years of experience
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
Other Statutory Registrations/Licenses, if any.		Not required	
In case of person signing the bid on behalf of the Firm, enclose authority letter.: Yes/No		In case of person signing the bid on behalf of the Party, enclose authority letter: Yes/No	
FDR/TDR/DD No. _____ Issuing Bank Name _____ Date of issue _____		FDR/TDR/DD No. _____ Issuing Bank Name _____ Date of issue _____	
Aadhar No. of Firm: _____ Document enclosed: Yes/No.		Aadhar No. of Individual: _____ Document enclosed: Yes/No.	

Signature of the bidder

Signature of the bidder

INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY KANPUR

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर

ESTATE OFFICE

सम्पदा कार्यालय

Price Schedule of Items to be sold in Shop No. 5, South Indian Outlet at Chowpati Area**साउथ इंडियन व्यंजन की दुकान में बेचे जाने वाले आइटम की कीमत शेड्यूल****(The prices to be quoted by bidders should be inclusive of GST)****(बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत होने वाली कीमतों में जीएसटी शामिल होना चाहिए)**

S.No.	Name of items	Unit	Quoted Rate In		Calculated Price (To be filled by the Tender Committee)
			Weight Factor	Rate (Rs.)	
ITEMS					
1	Onion Rawa Dosa	155 gm (1 piece)	4		
2	Medu Vada	150 gm(2 pieces)	3		
3	Uttapam	100 gm(1 piece)	4		
4	Rawa Upma	160 gm	3		
5	Idli	80 gm (2 pieces)	5		
6	Masala Dosa	200gm(1 piece)	5		
7	Plain Dosa	150 gm (1 piece)	5		
8	Cheese Dosa	150 gm (1 piece)	4		
9	Paneer Dosa	160 gm(1 piece)	5		
10	Sabudana Vada	200gm(2 piece)	4		
11	Sabudana	150 gm	4		
12	Pongal	100 gm	4		
13	Lemon Rice	250 gm	5		
14	Curd Rice	250 gm	4		
15	Rawa Masala Dosa	200 gm(1 piece)	4		
16	Mysore Masala Dosa	200 gm(1 piece)	3		
17	Kerela Rice (Brown Rice)	250 gm	5		
18	Puttu	40 gm	4		
19	Appam	200gm(4 piece)	5		
20	Stew Veg	150 gm	4		
21	Malabar Dum Biryani	200 gm	4		
22	Banana Chips	100gm	4		
23	Banana Fritters	100gm	3		
24	Vada	150gm(2 pieces)	3		
25	Kadala Curry (Channa)	250gm	3		
26	Kerela Style Chicken Curry	280gm	4		
27	Ghee Dosa	200gm (1 piece)	5		
28	Chicken Stew	600 gm	4		
29	Upma	160 gm	3		